न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नं0 454 / 2017

प्रार्थी :–

1. लतीब खां पुत्र घुमेखां जाति मुसलमान निवसी नवातला
2. श्रीमति मलू पत्नि लतीब खां जाति मुसलमान निवासी नवातला तह0 पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. करीमखा पुत्र कादरखां
2. निजाम खां पुत्र कादरखां
3. दावदखां पुत्र कादरखां
4. मीमोबेग कादरखां
5. बचू पुत्र रेमाखां
6. मोहमदखा पुत्र बोराखां
7. मृतक नसीरखां पुत्र हेमुखां के कायम मुकाम
   - 7 / 1 हबीब खां पुत्र नसीरखां
   - 7 / 2 लादुखा पुत्र नसीरखां
   - 7 / 3 माफेखा पुत्र नसीरखां
   - 7 / 4 मुकेखां पुत्र नसीरखां
   - 7 / 5 कवरू पत्नि नसीरखां सभी जातियान मुसलमान प्रतिवादी सं0 7 / 3 व 7 / 4 नाबालिग जहीये कुदरती वली माता कवरू पत्नि नसीरखां सभी निवासीयान जवाहरपुरा तह0 पचपदरा
8. मैनेजर पजाब नेशनल बैंक शाखा पचपदरा
9. राजस्थान राज्य द्वारा जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी प्रार्थी वकील
2. श्री उमरदीन विप्रार्थी वकील

आदेश दिनांक 28.12.2017

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा भगतलाई पटवार क्षेत्र नवातला की राजस्व सीमा में खेत खसरा सं. 546 रकबा 108 बीघा 09 विस्वा अवस्थित है, उपरोक्त कृशि भूमि में प्रार्थीगण का सहसयुक्त सामलाती में 1 / 3 हिस्सा बराबर 36 बीघा 03 विस्वा रहा व है। उपरोक्त कृशि भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की सहसंयुक्त सामलाती की कृशि भूमि रही है, जिसमें प्रार्थीगण का 1 / 3 हिस्सा रहा है, तथा उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं का 1 / 3 हिस्सा पर कब्जा काश्त कायम रहा व है, तथा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 / 3 हिस्से पर प्रार्थीगण द्वारा ही काश्त कर बुवाई की हुई है। विधि का यह स्थापित सिद्वानत है कि सह–संयुक्त सामलाती के सह खातेदारान का प्रत्येक इंच भूमि में सह – संयुक्त हक अधिकार कब्जा होता है। मौके पर प्रार्थीगण द्वारा खेत में काश्त के समय रहने हेतु झुपा भी बनाया हुआ है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण द्वारा हर वर्ष सहयुक्त सामलाती में अपने अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कर बुवाई इत्यादी की जाती रही है, उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का 1 / 3 हिस्से काब्जा कारत पर बिना किसी दखल हस्तक्षेप बाधा अवरोध के कायम रहा व है, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ता 7 / 5 की नियत शुरू से अपने हिस्से से अधिक की भूमि पर अतिकमण कर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि दखल कर प्रार्थीगण के हिस्से को हडप करने की रही है। जबकि विप्राथीगण को ऐसा करने का

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

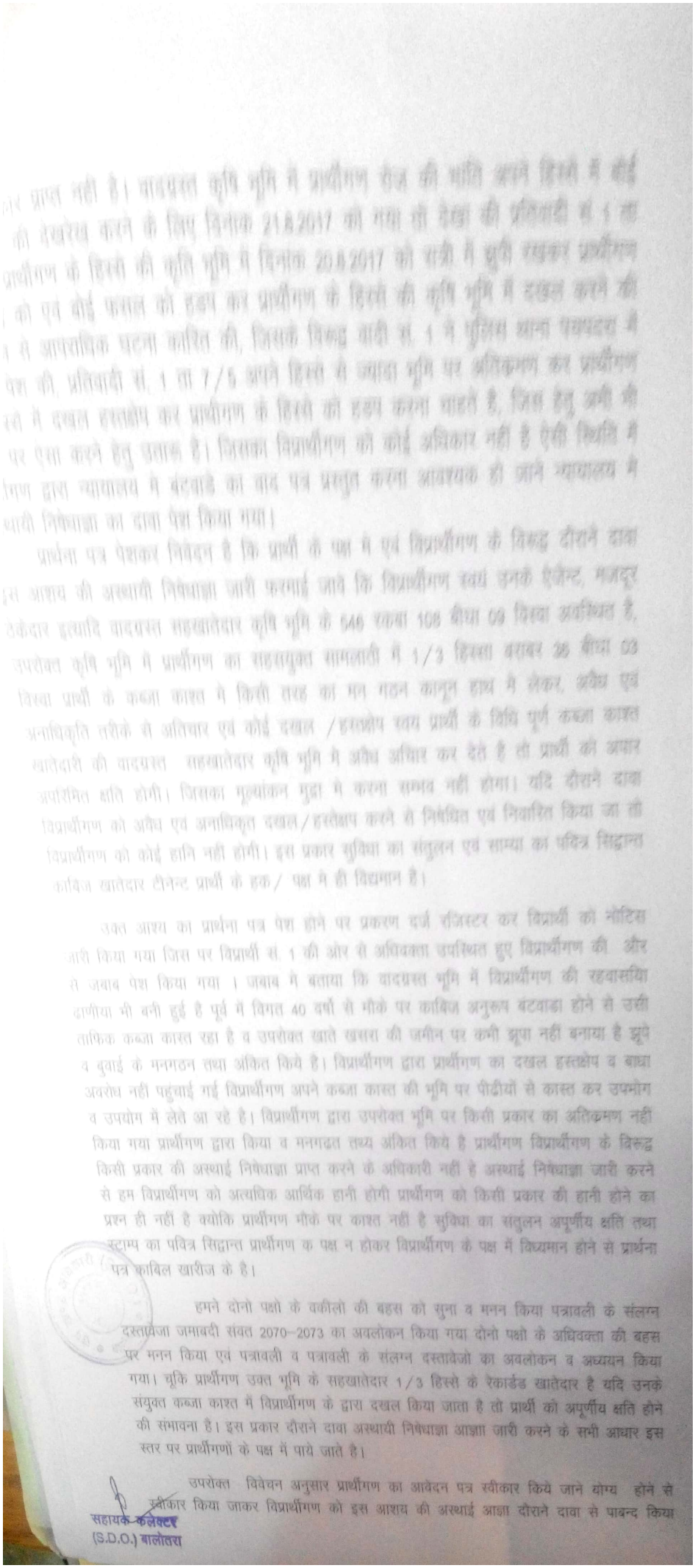

ार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रार्थीगण रोज की भांति अपने हिस्से मे बोई की देखरेख करने के लिए दिनांक 21.8.2017 को गया तो देखा की प्रतिवादी सं 1 ता प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि मे दिनांक 20.8.2017 को रात्री मे झूपे रखकर प्रार्थीगण को एवं बोई फसल को हड़प कर प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि मे दखल करने की ा से आपराधिक घटना कारित की, जिसके विरूद्ध वादी सं. 1 ने पुलिस थाना पचपदरा मे पेश की, प्रतिवादी सं. 1 ता 7/5 अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण स्से मे दखल हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण के हिस्से को हड़प करना चाहते है, जिस हेतु अभी भी पर ऐसा करने हेतु उतारू है। जिसका विप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति मे ीगण द्वारा न्यायालय मे बंटवाड़े का वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाने न्यायालय मे थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष मे एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध दौराने दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विप्रार्थीगण स्वयं उनके ऐजेन्ट, मजदूर ठेकेदार इत्यादि वादग्रस्त सहखातेदार कृषि भूमि के 546 रकबा 108 बीघा 09 बिस्वा अवस्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि मे प्रार्थीगण का सहसयुक्त सामलाती मे 1/3 हिस्सा बराबर 36 बीघा 03 बिस्वा प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी तरह का मन गढ़न कानून हाथ मे लेकर, अवैध एवं अनाधिकृति तरीके से अतिचार एवं कोई दखल /हस्तक्षेप स्वय प्रार्थी के विधि पूर्ण कब्जा काश्त खातेदारी की वादग्रस्त सहखातेदार कृषि भूमि मे अवैध अचिार कर देते है तो प्रार्थी को अपार अपरिमित क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे करना सम्भव नहीं होगा। यदि दौराने दावा विप्रार्थीगण को अवैध एवं अनाधिकृत दखल/हस्तक्षेप करने से निषेधित एवं निवारित किया जा तो विप्रार्थीगण को कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं साम्या का पवित्र सिद्धान्त काबिज खातेदार टैनेन्ट प्रार्थी के हक/ पक्ष मे ही विद्यमान है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए विप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश किया गया । जबाब मे बताया कि वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थीगण की रहवासीया ढाणीया भी बनी हुई है पूर्व में विगत 40 वर्षो से मौके पर काबिज अनुरूप बंटवाड़ा होने से उसी तापिक कब्जा कास्त रहा है व उपरोक्त खाते खसरा की जमीन पर कभी झूपा नहीं बनाया है झूपे व बुवाई के मनगठन तथा अंकित किये है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का दखल हस्तक्षेप व बाधा अवरोध नहीं पहुंचाई गई विप्रार्थीगण अपने कब्जा कास्त की भूमि पर पीढ़ीयों से कास्त कर उपभोग व उपयोग में लेते आ रहे है। विप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया प्रार्थीगण द्वारा किया व मनगढ़त तथ्य अंकित किये है प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से हम विप्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक हानी होगी प्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानी होने का प्रश्न ही नहीं है क्योकि प्रार्थीगण मौके पर काश्त नहीं है सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति तथा स्टाम्प का पवित्र सिद्धान्त प्रार्थीगण क पक्ष न होकर विप्रार्थीगण के पक्ष में विध्यमान होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारीज के है।

हमने दोनो पक्षो के वकीलो की बहस को सुना व मनन किया पत्रावली के संलग्न दस्तावेजा जमाबदी संवत 2070–2073 का अवलोकन किया गया दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन व अध्ययन किया गया। चूकि प्रार्थीगण उक्त भूमि के सहखातेदार 1/3 हिस्से के रेकार्डड खातेदार है यदि उनके संयुक्त कब्जा काश्त मे विप्रार्थीगण के द्वारा दखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। इस प्रकार दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा आज्ञा जारी करने के सभी आधार इस स्तर पर प्रार्थीगणों के पक्ष में पाये जाते है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई आज्ञा दौराने दावा से पाबन्द किया

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

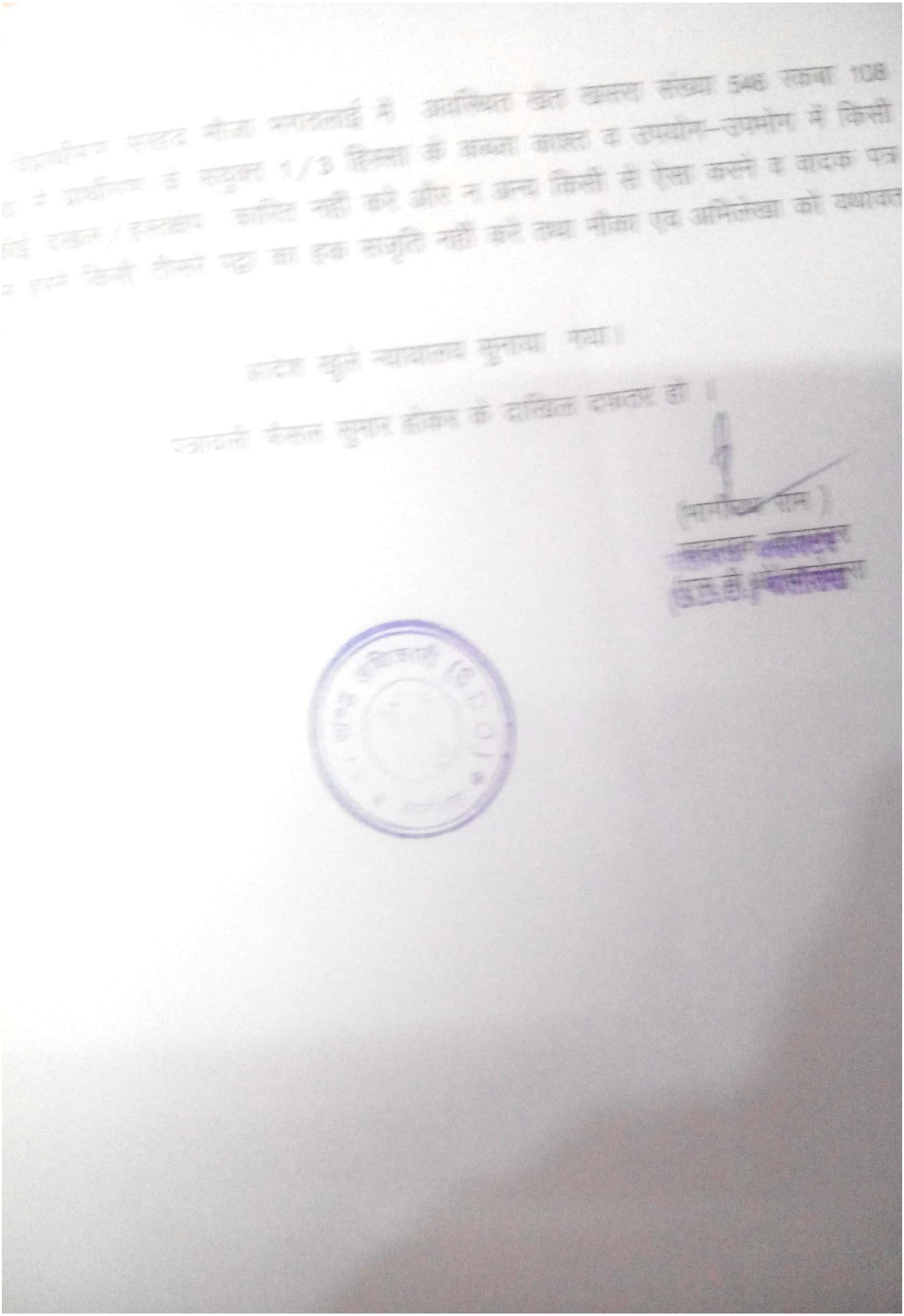

Scanned by CamScanner